<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी</u> <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-89/16</u> <u>संस्थापित दिनांक-17.03.2016</u> Filling no-235103000102016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

....अभियोजन

विरुद्ध

- 1- सुरेन्द्र पुत्र जयराम सिंह यादव उम्र 18 साल
- 2- कुलदीप पुत्र अरूण शर्मा उम्र 19 साल
- 3— अभिषेक पुत्र ब्रजभान सिंह उम्र 18 साल
- 4- दीपक पुत्र कृपाशंकर वाजपेयी उम्र 28 साल निवासीगण – पंचमनगर कॉलोनी चंदेरी

.....आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 08.09.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 294, 323, 323/34, 324, 324/34, 506 बी भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 27.02. 2016 को दोपहर करीब 12 बजे थाना चंदेरी से 1 किलोमीटर पश्चिम वीनस कम्प्यूटर सेंटर के सामने चंदेरी में फरियादी अंकित यादव का रास्ता रोककर उसे निश्चित दिशा, जिसमे उसे जाने का अधिकार है, में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया तथा फरियादी को लोकस्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं आहत नितिन के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सहअभियुक्त दीपक, कुलदीप व सुरेन्द्र के साथ मिलकर फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्त सुरेन्द्र ने फरियादी अंकित की अंगुली में दांतो से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहित तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहत एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 08.09.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण सुरेन्द्र, कुलदीप, अभिषेक, दीपक को भा.द.वि की धारा 341, 294, 323, 323/34, 506 बी के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी ने अपने दोस्त नितिन सिसोदिया के साथ थाना चंदेरी में जुबानी रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 27.02.2016 को दोपहर करीब 12:00 बजे दिल्ली दरवाजा तरफ से अपने घर को जा रहा थे, मेला ग्राउड रोड के पास पहूँचे वहां पर दीपक वाजपेयी, सुरेन्द्र यादव, अभिषेक यादव, कुलदीप शर्मा मिले व उनका रास्ता रोक लिया और बोले कि तुमने राजकुमार की रिपोर्ट क्यों की थी, तो उसने कहा उन्होंने उसकी मारपीट की थी, इसलिये रिपोर्ट की थी, तो आरोपीगण मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे सुरेन्द्र ने उसे दांहिने हाथ की अंगुली में दांतो से काट लिया और उसके दोस्त नितिन ने बचाया तो उसकी भी आरोपीगण ने मारपीट की। मौके पर रानू परिहार व राहुल यादव थे जिन्होंने घटना देखी देखी है, जाते—जाते आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस द्व रा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- **04** अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05— राजीनामा उपरांकरण प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--
- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 27.02.2016 को दोपहर करीब 12 बजे थाना चंदेरी से 1 किलोमीटर पश्चिम वीनस कम्प्यूटर सेंटर के सामने आपने सहअभियुक्त दीपक, कुलदीप व सुरेन्द्र के साथ मिलकर फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्त सुरेन्द्र ने फरियादी अंकित की अंगुली में दांतो से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहित ?
- 2. उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त सुरेन्द्र ने अंकित को दांतो से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— विचारणीय प्रश्न क् 0 1 व 2 का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी अंकित अ०सा०1 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 1 साल पहले की होकर दोपहर 12 बजे की है। घटना दिनांक को वह दिल्ली

दरबाजे तरफ से अपने घर जा रहा था, जैसे ही वह मेला ग्राउण्ड के पास पहूँचा तो वहां पर आरोपी दीपक वाजपेयी, सुरेन्द्र यादव, अभिषेक यादव, कुलदीप शर्मा मिले और उसका रास्ता रोककर बोले की उसने राजकुमार की रिपोर्ट की है तो उसने आरोपीगण से कहा कि राजकुमार ने उसकी मारपीट की थी इसलिये उसने उसकी रिपोर्ट की थी।

07— फरियादी अंकित अ0सा01 कथन है कि आरोपीगण से उसकी गाली गलौच व धक्का मुक्की हो गई थी और धक्का मुक्की में कांच की शीशी पर हाथ के बल गिर जाने से दांहिने हाथ की अंगुली में चोट आ गई थी। घटना के समय उसका दोस्त नितिन भी आ गया था जिसके साथ भी आरोपीगण की धक्का मुक्की हो गई थी और उसे भी मामूली चोटे आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी पर रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी.1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि सुरेन्द्र ने उसके दांहिने हाथ की अंगुली में दांतों से काट लिया था। इस बात से इंकार किया कि उसका दोस्त नितिन बचाने आया तो आरोपीगण ने उसकी भी मारपीट कर दी थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 व पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। इस बात से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ।

09— अभियोजन साक्षी नितिन अ०सा०२ ने उनके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक को अंकित का आरोपीगण के साथ गाली गलौच एवं धक्का मुक्की हो गई थी जिससे कांच की शीशी पर हाथ के बल गिर जाने से अंकित को चोट आ गई थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके द्वारा बीच बचाव करने एवं धक्का मुक्की में उसे भी मामूली चोट आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया और पुलिस को प्र.पी.4 का ए से ए भाग का कथन भी न देना व्यक्त किया।

10— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर स्वयं फरियादी अंकित तथा आहत नितिन द्वारा अभियोजन कहानी का

लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है बल्कि उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया है कि धक्का मुक्की में कांच की शीशी पर हाथ के बल गिरने से अंकित को चोट आई थी। उक्त साक्षीगण का कहना है कि इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 27.02.2016 को दोपहर करीब 12 बजे थाना चंदेरी से 1 किलोमीटर पश्चिम वीनस कम्प्यूटर सेंटर के सामने आपने सहअभियुक्त दीपक, कुलदीप व सुरेन्द्र के साथ मिलकर फरियादी को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया और उसके अग्रसरण में सहअभियुक्त सुरेन्द्र ने फरियादी अंकित की अंगुली में दांतो से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहित तथा अभियुक्त सुरेन्द्र ने अंकित को दांतो से काटकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की। अतः आरोपी सुरेन्द्र, कुलदीप, अभिषेक, दीपक के विरूद्ध धारा 324, 324/34 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 12- प्रकरण में निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।
- 13- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0